उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः-4310३- 07 / वसूली / 2016-17 दिनांकः 15/02/17

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

दिनॉक 13.02.2017 को प्रबन्ध निदेशक द्वारा मुख्यालय के विभिन्न योजनाधिकारियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वसूली एवं बैंक के अन्य किया-कलापों की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि बैंक के एक लाख से बड़े बकायेदारों के विरूद्ध अभी तक शाखाओं द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है, जिस पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और यह निर्देश दिये गये कि संलग्न प्रारूप पर एक लाख से बड़े बकायेदारों के सम्बन्ध में सूचनाएं प्रेषित करते हुए उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करायी जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न प्रारूप पर एक लाख से बड़े बकायेदारों के सम्बन्ध में वांछित सूचना अनिवार्य रूप से दिनांक **23.02.2017** तक **EXCEL SHEET** पर मण्डलीय शाखा के माध्यम से वसूली अनुभाग की ई-मेल आई0डी0 **rec.upsgvb@yahoo.com** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- 1- एक लाख से बड़े बकायेदारों की सूची कृषकवार हेतु संलग्न प्रारूप।
2-एक लाख से बडे बकायेदारों का विवरण हेतु संलग्न प्रारूप।

15.2.17
(ए0के0 शुक्ला)
महाप्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-सम्बन्धित मण्डलीय शाखा प्रबन्धक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह उपरोक्तानुसार वांछित सूचना संलग्न प्रारूप पर अपने मण्डल की संकलित कराते हुए वसूली अनुभाग की ई0मेल0आई0डी0 **rec.upsgvb@yahoo.com** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2-समस्त मण्डलीय / जनपदीय पर्यवेक्षक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि दिनांक 13.02.17 को प्रबन्ध निदेशक महोदय की बैठक में उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुपालनार्थ उक्त वांछित सूचनाएं दिनांक **23.02.2017** तक अपने मण्डल / जनपद से मुख्यालय के वसूली अनुभाग को प्रत्येक दशा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करायें। साथ ही साथ उक्त बकायेदारों के विरूद्ध वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3-मुख्य महाप्रबन्धक (प्रशासन), प्रधान कार्यालय, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

5-उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), प्रधान कार्यालय, लखनऊ को शाखाओं को ई-मेल करने हेतु।

महाप्रबन्धक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा/मण्डल————जनपद.....।

शाखा के एक लाख से बडे बकायेदारों का विवरण दिनॉक (01.07.2016 के बकाये के आधार पर)

(धन0 लाखों में)

क0 सं0	नाम शाखा	एक लाख से बडे कुल बकायेदार(01.07.2016 को) धनराशि टिप्पणी कालम सहित						एल0डी0बी एक्ट से आच्छादन		95 क से आच्छादन		कुल योग		आच्छादन से अवशेष		प्राप्त कुर्की		प्राप्त वारन्ट		कुर्की तामीला		वारन्ट तामीला		अवशेष				समस्त कार्यवाही से वसूली	
		सं0	धनराशि का विवरण					सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	सं0	धन0	कुर्की		वारन्ट		सं0	धन0
			बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	योग (4+5)	टिप्पणी कालम का ब्याज	कुल योग(6+7)																		सं0	धन0	सं0	धन0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																													
2																													
3																													
मण्डलीय योग																													

नाम– शाखा आकिक

शाखा–..... जनपद.....

नाम– शाखा प्रबन्धक.....

शाखा.....जनपद.....

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा/मण्डल————जनपद.....।

शाखा के एक लाख से बडे बकायेदारों का विवरण दिनॉक (01.07.2016 के बकाये के आधार पर) (धन0 लाखों में)

क0 सं0	नाम बकायेदार	पिता का नाम	निवासी ग्राम	ऋण वितरण का उददेश्य	खाता सं0	बन्धक ग्रस्त भूमि का रकबा(एकड़ में)	ऋण वितरण		बकाया पडने की तिथि	दि0 01.07.16 को बकाया धनराशि का विवरण					वसूली हेतु कृत कार्यवाही का आच्छादन		आच्छादन अवशेष का कारण
							तिथि	धनराशि		बकाया मूलधन	बकाया ब्याज	योग (11+12)	टिप्पणी कालम का ब्याज	कुल योग (13+14)	एलडी0बी एक्ट के अधीन	धारा 95 'क' से आच्छादन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
मण्डलीय योग																	

नोटः उक्त प्रारूप पर 3.125 एकड़ से कम एवं 3.125 एकड़ से अधिक की सूची अलग–अलग तैयार की जाये।

नाम– शाखा आकिक
शाखा–..... जनपद.....

नाम– शाखा प्रबन्धक.....
शाखा.....जनपद.....